प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चार'

[25/2/2016]

प्रश्न सं. [क. 1009]

राज्य शासन स्पष्टीकरण

विषयः—मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 के प्रकरणों में राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से अभिप्रेत।

मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 के तहत पेंशन को रोकने और उसे वापस लेने के अधिकार राज्यपाल को है। साथ ही इस नियम (2) में यह व्यवस्था है कि अगर शासकीय सेवक के सेवा में रहते हुए या पुनर्नियुक्ति के दौरान उसके खिलाफ विभागीय जांच संस्थापित नहीं की जाती है तो राज्यपाल की स्वीकृति के बगैर विभागीय जांच संस्थापित नहीं की जाएगी।

2. इस नियम के तहत राज्य शासन के सामने यह सवाल पैदा होता रहा है कि क्या प्रत्येक प्रकरण में राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त की जाए। विधि एवं विधायी कार्य विभाग के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि प्रकरणों में राज्यपाल महोदय, की व्यक्तिगत स्वीकृति की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रकरणों मे मंत्रि-परिषद की स्वीकृति ली जानी चाहिए।

3. इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6/6/87/नि- 2/चार, दिनांक 8-2-1989 द्वारा जारी निर्देश निरस्त किये जाते हैं। *[वित्त विभाग क्रमांक बी- 6/6/91/PWC/चार, दिनांक 7-8-1996]*